## <u>न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,</u> <u>गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश</u>

प्रकरण कमांक : 227 / 2015

संस्थापन दिनांक 05.05.2015

म.प्र. राज्य द्वारा पुलिस थाना एण्डोरी जिला भिण्ड म.प्र.

– अभियोजन

## <u>बनाम</u>

1—शैलेन्द्रसिंह पुत्र सोबरनसिंह कुशवाह उम्र 26 साल, 2—राजकुमार पुत्र हरीसिंह कुशवाह उम्र 30 साल 3—सोबरनसिंह पुत्र रामदीन कुशवाह उम्र 52 साल 4—देवेन्द्रसिंह पुत्र सोबरनसिंह कुशवाह उम्र 24 साल निवासीगण ग्राम चन्दोखर थाना एण्डोरी जिला भिण्ड

– अभियुक्तगण

## निर्णय

( आज दिनांक......को घोषित)

- उपरोक्त अभियुक्तगण को राजीनामा के आधार पर धारा 294, 323/34, 506 भाग दो भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया है शेष विचारणीय धारा 324/34 भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 02.04.15 को 4:30 बजे श्यामबिहारी के मकान के सामने ग्राम चंदोखर थाना एण्डोरी जिला भिण्ड पर भानसिंह अ0सा02 की दांतों से काटकर सहअभियुक्त के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।
- अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 02.04.15 को दोपहर 4:30 बजे फरियादी सोनाबाई अ0सा01 के जेठ गोपालसिंह से राजकुमार ने कुछ पैसे उधार लिए थे जिसे गोपाल राजकुमार से मांग रहा था तब सोनाबाई अ0सा01 के पित लाखनसिंह ने गोपाल से कहा कि पैसे मत मांगों तब आरोपी शैलेन्द्र आ गया और अश्लील गालियां देने लगा जब फरियादी सोनाबाई अ0सा01 गालियां सुनकर आई तब आरोपी सोबरन ने सोनाबाई अ0सा01 के बाल पकड़कर

जमीन पर पटक दिए। आरोपी देवेन्द्र ने आकर सोनाबाई अ0सा01 की लात घूंसों से मारपीट की जिससे उसके पेट में बांधी तरफ मूंदी चोट और दांधी तरफ पसली में मूंदी चोट आई। फरियादिया का पुत्र भानसिंह अ0सा02 बचाने आया तो शैलेन्द्र और देवेन्द्र ने उसकी भी लाठियों से मारपीट की जो बांये हाथ की छोटी अंगुली में लगी। भानसिंह अ0सा02 को आरोपी राजकुमार ने पीठ में दांतों से काट लिया। आवाज सुनकर रामवरन व सुघरसिंह आ गये जिन्होंने बीच बचाव किया जाते समय आरोपीगण ने आइन्दा जान से खतम करने की धमकी दी। तत्पश्चात फरियादी सोनाबाई अ0सा01 की रिपोर्ट पर से थाना एण्डोरी में अप0क्0 32/15 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी—1 दर्ज कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोगपत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

- 3. आरोपीगण ने आरोपित आरोप को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपीगण की प्रतिरक्षा है कि उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।
- 4. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न है कि क्या आरोपीगण ने घटना दिनांक 02.04.15 को 4:30 बजे श्यामबिहारी के मकान के सामने ग्राम चंदोखर थाना एण्डोरी जिला भिण्ड पर भानसिंह अ0सा02 की दांतों से काटकर सहअभियुक्त के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की ?

## //विचारणीय प्रश्न का सकारण निष्कर्ष //

- 5. सोनाबाई अ०सा०1 ने कथन किया है कि पिछले वर्ष बैसाख माह की 4:30 बजे की घटना है उसके जेठ रामगोपाल के पैसे राजकुमार ने उधार लिए थे जिसे रामगोपाल मांग रहा था तब उसके पित ने कहा कि आज पैसे मत मांगों इतने में आरोपी शैलेन्द्र आ गया और अश्लील गालियां देने लगा आवाज सुनकर वह पहुंची तो सोबरन व देवेन्द्र ने उसकी मारपीट की। फिर आरोपीगण ने उन्हें घर लिया और रिपोर्ट के लिए उन्हें जाने नहीं दिया। रामकरन और सुघरसिंह आ गये। आरोपी राजकुमार ने उसके लड़के भानु अ०सा०2 को लाठी मारी और आरोपी रामकुमार या शैलेन्द्र किसी एक ने भानु अ०सा०2 की पीठ में काट लिया इसके बाद उसने थाने पहुंचकर रिपोर्ट प्र०पी—1 की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात पुलिस उसे अस्पताल लेकर आई जहां उनका इलाज हुआ। नक्शामौका प्र०पी—2 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।
- 6. भानसिंह अ०सा०२ ने कथन किया है कि सवा वर्ष पूर्व पैसे उधारी की बात पर आरोपीगण से वाद विवाद हो गया था जिसके बाद सोनाबाई अ०सा०1 ने आकर रिपोर्ट कर दी थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि आरोपीगण ने उसकी व उसकी मां की लातों से मारपीट की थी। इस सुझाव से भी इंकार किया है कि राजकुमार ने उसे पीठ में काट लिया था और स्वतः कथन किया है कि उसे किसी ने नहीं काटा था। और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी—3 में भी दिए जाने से इंकार किया है। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कथन किया है कि जब आरोपीगण चले गये

उसके बाद सोनाबाई अ०सा०1 आई थी।

- 7. स्वयं आहत भानसिंह अ०सा०२ ने उसे पीठ में आरोपीगण द्वारा दांतों से काट लिये जाने के संबंध में कथन नहीं किया है। सोनाबाई अ०सा०१ ने भी मुख्यपरीक्षण में यह स्पष्ट बताने में असमर्थता व्यक्त की है कि भानसिंह को किस आरोपी ने पीठ में काटा था भानसिंह अ०सा०२ ने भी प्रतिपरीक्षण में सोनाबाई अ०सा०१ को घटना के बाद आना बताया है और सोनाबाई अ०सा०१ ने भी प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि जब वह पहुंची तब मारपीट हो चुकी थी और उसे भानसिंह अ०सा०२ ने बताया था इसलिए उसने उक्त बात लिखाई थी। अतः सोनाबाई अ०सा०१ ने भी मात्र अनुश्रुत साक्ष्य पेश की है जो भी मुख्यपरीक्षण में ही स्थिर व स्पष्ट नहीं हैं। अतः सोनाबाई अ०सा०१ के कथन से भी कोई स्पष्ट निष्कर्ष प्राप्त नहीं होता है।
- 8. अतः स्वयं आहत भानसिंह अ०सा०२ द्वारा विचारणीय प्रश्न पर अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया गया है। सोनाबाई अ०सा०१ ने भी भानसिंह अ०सा०२ को दांतों से काटे जाने के संबंध में मुख्यपरीक्षण और प्रतिपरीक्षण में स्थिर और विश्वसनीय कथन नहीं किए हैं। अतः अभियोजन साक्ष्य की विवेचना से अभियोजन का मामला सिद्ध नहीं होता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपीगण ने दिनांक ०२.०४.१५ को ४:३० बजे श्यामबिहारी के मकान के सामने ग्राम चंदोखर थाना एण्डोरी जिला भिण्ड पर भानसिंह अ०सा०२ की दांतों से काटकर सहअभियुक्त के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।
- 9. परिणामतः आरोपीगण को धारा 324/34 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
- 10. आरोपीगण के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
- 11. प्रकरण में कोई जप्तश्दा संपत्ति नहीं है।

दिनांक :-

सही / – (गोपेश गर्ग) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड म०प्र०